हनुमान सहाय बोदी वगै०

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		270/20 वाद
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित, वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी की ओर से पूर्व में प्रा०पत्र 7 R11 CPC का जवाब पेश हुआ आदेशिका दि० 1/7/24 में सहवन से लिखा गया है जबकि वादी की ओर से 07 R11 CPC का जवाब पेश नहीं हुआ है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र 07 R11 CPC व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील प्रतिवादी की प्रा०पत्र 07 R11 CPC की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रा०पत्र 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादीगण द्वारा मौजूदा दावा, मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज० काश्त० अधिनियम का पेश किया है जिसमें यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी गत खसरा नम्बर 202 व 205 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम रामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर जिसके हाल खसरा नम्बर 307 लगा० 326 व 355 (कुल किता 21) कुल रकबा 6.18 है० में वादीगण को 1/4 हिस्से की जगह 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के पिता स्व० सुगलाराम उर्फ सुवटाराम का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उनके हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे व वादीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें, वकील प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया है कि वादीगण ने वाद पत्र की मद संख्या 7 में यह अंकित किया है कि जैसे स्वर्गीय सुगल्या द्वारा वादीगण के 1/2 हिस्सा में से अपना 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की जानकारी होते ही वादीगण ने स्वर्गीय सुगल्या एवं 1/2 हिस्से के रामदेव के वारिसों के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में घोषणा एवं दुरस्ती का दावा दायर कर दिया। मगर दौराने दावा पक्षकारों के सगे संबंधीयो द्वारा समझाइश पर स्वर्गीय सुगल्या ने विवादित भूमि में अविभाजित 1/4 हिस्से पर से अपना कब्जा हटा लिया और उक्त विवादित भूमि के अविभाजित 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त हो गये तथा स्वर्गीय सुगल्या ने वादीगण को आश्वासन दे दिया कि जो 1/4 हिस्से की भूमि उसके नाम लगवायी है उसे अपने नाम से हटवाकर वादी[illegible], इसलिए वादीगण ने अपने द्वारा दायर किया [illegible] दावा उनकी हनुमान बनाम भूरी [illegible] अपने अधिवक्ता को कहकर दावा खारिज करवा लिया, वादीगण स्वयं इस वाद में यह स्वीकार करके आये हैं कि उनके द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया था जो लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सांगानेर)

फर्द अहकाम

हनुमान आदि बनाम छोटी व अन्य

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

270/20 दावा

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	चूंकि खसरा नम्बर 307 लगा० 326 व 328 कुल किता - 21 कुल रकबा 6.18 है० वाके ग्राम राजगोपालपुरा उर्फ मोहनबास, तहसील सांगानेर के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के पिता सुगन्या उर्फ सुगनाराम के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिस पर कोई कार्यवाही ना करते हुए अपने वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। वादीगण द्वारा उक्त वाद को परिसीमा अवधि पुनः रेस्टोर नहीं करवाया और अब उन्ही बिन्दुओं पर पुनः उक्त नया वाद पेश किया है जो आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी व 07 R11 CPC के प्रावधानों के अनुसार बाधित है इसलिए मौजूदा दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के क्लोज (डी) में वर्णितानुसार दावा विधि विरुद्ध/ वर्जित होने के कारण वाद का प्रारंभिक स्तर पर निस्तारण किया जाकर वादी का वाद को खारिज किया जावे। वादीगण को उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत प्रा०पत्र 07 R11 CPC के जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये लेकिन उनकी ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने अपने पूर्व वाद में भूमि खसरा नं० 202 व 205 खाता ख०न० 307 लगा० 326 व 355 कुल किता-21 कुल रकबा 6.18 है० वाके ग्राम राजगोपालपुरा उर्फ मोहनबास तहसील सांगानेर के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 6 के पिता सुगन्या जो उस पूर्व वाद हनुमान बनाम भूरी में प्रतिवादी सं. 13 के विरुद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण के पिता सुगन्या द्वारा दिनांक 20/8/2008 को जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था तथा [illegible] दिनांक 29/5/2018 तक न्यायालय [illegible] विचाराधीन रहा तथा दिनांक [illegible] हाजरी व अदम पैरवी में खारिज [illegible] गया उसके पश्चात् उसके पश्चात उसी भूमि के [illegible] वर्ष 2020 से घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सुगन्याराम के — लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

हनुमान व अन्य बनाम छोटी व अन्य

नाम न्यायालय: उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

केस संख्या: 270/20 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		विधिक वारिसो के विरुद्ध वादीगण द्वारा मौजूदा दावा प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व वाद संख्या 191/2008 हनुमान व अन्य बनाम भूरी व अन्य के वाद पत्र व आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई तथा वादीगण द्वारा भी मौजूदा वाद की मद संख्या 7 में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पूर्व में वादीगण के पिता सुगल्या के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया था जिसे सुगल्या द्वारा आश्वासन देने के बाद उन्होंने पूर्व वाद को खारिज करवा लिया। अब वादीगण ने पुनः नया घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है जो आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. यह प्रावधित करता है जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जायेगा।
		उपरोक्त प्रावधान के अनुसार वाद हेतुक किसी वाद का आधार होता है तथा 09 R9 CPC के अनुसार के अन्तर्गत कोई वाद खारिज होता है तो वादी नया वाद लाने हेतु प्रवारित रहेगा। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौजूदा दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के क्लोज (घ) के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है।
		अतः प्रतिवादी का प्रार्थना 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद आराजी साबिक 202 व 205 रकबा 24 बीघा। जिसके हाल खसरा नम्बर 307, 310, 326 व 355 कुल किता-2 कुल रकबा 6.18 वाके ग्राम रामगोपालपुरा उर्फ मोज्यावास तहसील सांगानेर खारिज किया जाता है। प्रवाचक से पर्चा बिक्री तैयार कर पेश करें। मुनासिब पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested